(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–2018–औस/2012–27–एफ0/80 दिनांक 5 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार का अधिसूचना संख्या–6/12/73/कार्मिक–2/2011–टी0सी0–IV, दिनांक 22.12.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवॉ संशोधन) नियमावली 2011 के नियम–2 में किये गये संशोधन को अंगीकार किये जाने का पावर कारपोरेशन ने निर्णय लिया है।

उपरोक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) के नियम– 2 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें:–	(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें:–
1. पत्नी या पति,	1. पत्नी या पति
2. पुत्र	2. पुत्र/दत्तक पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां,	3. अविवाहित पुत्रियां अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुएँ,
4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।
परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियॉ भी सम्मिलित होगीं।	5. ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी, परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियॉ भी सम्मिलित होंगी।

नियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0) 2/–

SEVAYOZEN/246

संख्याः 2018–(1) औस/2012 – तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।

2– निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड़, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण क्षेत्र एवं पारेषण क्षेत्र, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

6– समस्त मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)/महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

7– समस्त उप महाप्रबन्धक (औस)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

8– उपसचिव (विनियम), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

10– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।

11– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक नब्बे (28)/12, दिनांक 15.06.2012.

12– कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औस)